

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/193/2021 रजिस्ट्रेशन नं० 2021/473 प्रवेश तिथि 02/11/2021 निर्णय दिनांक 01.02.2022

1- STATE BANK OF INDIA, SARB (BETWEEN MOTI NAGAR & ZAKHIRA), 23, NAJAHGARH ROAD, NEW DELHI-110015.

—प्रार्थी

बनाम

- 1- MRS. KAHKASHAN GULZAR W/O AHMED IFTIKAR
 - 2- MR. AHMED IFTIKAR S/O MR. IFTIKAR ABDUL KARIM
- BOTH ARE RESIDENT OF:-**
- 1) 213, BUDHANA GATE, NEAR MADARSA, NOORUL ISLAM, MEERUT CITY (U.P.) – 250002
 - 2) 609 AMETHYS-1 BDI, SUSHINE CITY, BHIWADI – 301019
 - 3) H. NO. 109, DHUL SIRAS, JATT MOHALLA, DWARKA, SEC-25, NEW DELHI – 110075
 - 4) FLAT NO. M-422, 4TH FLOOR, TOWER B-3, ASHIANA SURBHI PHASE – 3RD RAMPURA, TEHSIL TIZARA, DISTT. ALWAR PIN 321605
 - 5) 241, VARDHMAN, DIAMOND PLAZA, PLOT NO. – 3, D B GUPTA ROAD, 2ND FLOOR, PAHARGANJ, NEW DELHI – 110055
 - 6) BLOCK 1ST – 124, 1ST FLOOR, ABU FAZAL ENCLAVE, JAMIA NAGAR, OKHLA DELHI – 110025.

—अप्रार्थीगण/ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 28,09,760/-रूपये (Rupees Twenty Eight Lakh Nine Thousand Seven Hundred Sixty Rupee Only) (Home Loan A/c No.61326154946 Rs. 20,00,000/-, A/c No.37648566103 Rs. 6,00,000/- And Suraksha Loan A/c No. 61327080288 Rs. 2,09,760/-) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 08.11.2020 को Total Aggregating Loan Amount Rs. (ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज) सहित कुल 35,53,867/-रूपये (Rupees Thirty Five Lakh Fifty Three Thousand Eight Hundred Sixty Seven Only) है, की अदायगी नहीं की गई। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति Flat No. M-422, 4th Floor, Phase – 3rd, Tower B3 Ashiana Surbhi, Bhiwadi, Village Rampura, Tijara, Alwar (Rajasthan) - 321605 को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त Flat No. M-422, 4th Floor, Phase – 3rd, Tower B3 Ashiana Surbhi, Bhiwadi, Village Rampura, Tijara, Alwar (Rajasthan) - 321605 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

जिला कलक्टर, अलवर


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ननुभव पट्टाडिसा)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर